संख्या- 14/2025/594/58-2025-1608996

प्रेषक,

विनय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजनान्तर्गत प्रविधान के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि रू0-35.00 लाख अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-130/बजट/2024-25 दिनांक-25-02-2025 एवं पत्रांक-125जी/बजट(9-II) दिनांक 07-03-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजनान्तर्गत प्रविधान के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि रू0-35.00 लाख (पैंतीस लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(3) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(4) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(5) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है

कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार /केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(10) कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(11) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(12) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

(13) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(14) विभागाध्य्क्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(15) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(16) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001080700 उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन **मानक**

मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001080700 उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-**E-1-505-X-2024-25-दिनांक:12-3-2025** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 14 /2025/549(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shas